गया। वास्ते पत्रावली उभयपक्षों की बहस हेतु नियत दिनांक 17-5-22 को पेश हो।

17-5-22 पत्रावली पेश, वकील प्रतिवादी 1,2,4 द्वारा दस्तावेज (जमाबंदी, नक्शा) पेश किये एवं लिखित बहस पेश की। वादी प्रतिवादी वकील द्वारा लिखित बहस की नकल ली गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 27-5-22 को पेश हो।

27-5-22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षों ने बहस करनी चाही। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 31-5-22 को पेश हो।

31-5-22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 7-6-22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7-6-22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान --सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी--डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या – 25/22 प्रा०पत्र

1– श्री शंकरलाल S/o श्री गणपत लाल ब्राह्मण निवासी– लुहारिया तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री काशीलाल S/o श्री उदयलाल ब्राह्मण निवासी- लुहारिया तहसील- माण्डल (वगैरह)
(सहखातेदार सभी)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 27-06-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न. 3733/321, 322/3, 325, 335 कुल किता 04 रकबा 0.5565 हैक्टेयर ~~बीघा~~ ~~बिस्वा~~ स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24-01-22 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न. 37.. 322/3, 325, 335 कुल किता 04 रकबा 0.5565 हैक्टेयर ~~बीघा~~ ....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक लुहारिया को 500/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल